

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(कर अनुभाग)

अधिसूचना  
जयपुर, फरवरी 12, 2018

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं० 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 10 में विनिर्दिष्ट किसी कंपनी के संगम-अनुच्छेद के लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और न्यूनतम पाँच हजार रुपये और अधिकतम पच्चीस लाख रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए 0.15 प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जायेगा।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-184]  
राज्यपाल के आदेश से,


  
प्रवीण गुप्ता,  
शासन सचिव

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION  
Jaipur, February 12, 2018**

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that stamp duty chargeable on the instrument of Articles of Association of a Company specified in Article 10 of the Schedule to the said Act shall be reduced and charged at the rate of 0.15 percent subject to a minimum of rupees five thousand and a maximum of rupees twenty five lakh.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-184]  
By order of the Governor,

  
(Praveen Gupta)  
Secretary to the Government